कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया मध्यप्रदेश

-:: निविदा ::-

इस न्यायिक जिला स्थापना पर वाहन स्टैण्ड का संचालन निर्धारित शर्तो के अध्याधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है, जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक 27.10.2018 दिन शनिवार को प्रातः 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर वाहन स्टैण्ड के ठेके हेतु खुली बोली/निलामी में सम्मिलित हो सकते हैं ।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

01. बोली/नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को रू. 5000/- अग्रिम राशि के रूप में जिला नाजिर के समक्ष अमानत राशि जमा किया जाना निलामी में भाग लेने की पूर्ववर्ती शर्त रहेगी । उक्त राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी ।
2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अन्तर्गत साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा एवं वाहन स्टैण्ड की नियमित सफाई करानी होगी।
03. वाहन का ठेका जिस निविदाकर्ता का स्वीकृत किया जावेगा उसे ठेके की राशि का 3 माह की अवधि की किराये की राशि एक मुश्त अग्रिम जमा करना होगा ।
04. वाहन स्टैण्ड की ठेके की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला नाजिर दतिया के पास जमा करनी होगी ।
05. वाहन स्टैण्ड का मासिक ठेका राशि रूपये 8000/- (रुपये आठ हजार) है । उक्त राशि से सबसे अधिक राशि की बोली लगाने वाले व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जावेगी ।
06. वाहन स्टैण्ड संचालित करने वाले ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे की शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो ।
07. वाहन स्टैण्ड ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा ।
08. वाहन स्टैण्ड का ठेका आवंटन के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार जिला न्यायाधीश दतिया को होगा।
09. वाहन स्टैण्ड ठेके की अवधि कुल एक वर्ष अथवा आगामी आदेश तक के लिये होगी ।
10. वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी । वाहन खराब होने, चोरी होने की दशा में वाहन स्वामी को चोरी गये वाहन की राशि का भुगतान करना होगा ।
11. साइकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगी :-
    साइकिल - 5/- रू. प्रतिदिन
    स्कूटर/दो पहिया- 10/- रू. प्रतिदिन
    चार पहिया - 20/- रू. प्रतिदिन
12. वाहन स्टैण्ड ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन दिया जाना आवश्यक होगा ।
13. वाहन स्टैण्ड ठेका स्वमेव समाप्त करने की दशा में अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
14. वाहन स्टैण्ड के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला पंजीबद्ध तथा दतिया न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए एवं उसके ~~विरूद्ध~~ संबंध में न्यायालय में कोई सिविल वाद भी लंबित नहीं होना चाहिए ।

(हस्ताक्षर)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया, (म0प्र0)